पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

आर्बीट्रेशन समिति में अब 05 की जगह होंगे 03 सदस्य

चालकों/परिचालकों के प्रकरणों के निस्तारण में आयेगी तेजी

–श्री दयाशंकर सिंह

लखनऊ : 19 मार्च, 2026

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने संविदा चालकों/परिचालकों के अनुबन्ध क्रियान्वयन पर विवाद की स्थिति में आर्बीट्रेशन समिति नामित किये जाने के संबंध में नये प्राविधान किये हैं। आर्बीट्रेशन समिति अब 05 की जगह 03 सदस्यीय गठित की जायेगी।

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि चालकों/परिचालकों की संविदा सेवा को लेकर आ रही परेशानियों को देखते हुए परिवहन निगम ने आर्बीट्रेशन समिति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि काफी संख्या में चालकों/परिचालकों के अनुबंध संबंधी प्रकरण सामने आ रहे थे, जिनके निस्तारण में काफी समय लग रहा था।

परिवहन मंत्री ने बताया कि अभी तक की व्यवस्था के तहत आर्बीट्रेशन एक्ट–1996 की धारा–10(1) के अनुसार 05 सदस्यीय आर्बीट्रेशन समिति का गठन किया जाता था, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्त), क्षेत्र के वरिष्ठतम सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक विधिय अधिकारी शामिल होते थे। नये बदलाव के अनुसार अब क्षेत्रीय प्रबंधक के अलावा ऊपर वर्णित अधिकारियों में से कोई दो अधिकारी को शामिल करते हुए समिति का गठन किया जायेगा। इससे आर्बीट्रेशन संबंधी प्रकरणों में तेजी आयेगी और समय से चालकों/परिचालकों का प्रकरण निस्तारित हो सकेगा।

सम्पर्क सूत्र– आशीष सिंह

राघवेन्द्र/05:00 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in